राजस्थान सरकार

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,जयपुर

क्रमांक एफ 25 (सी.ए.सी.)लेखा/आकाशि/2009–10/1040 दिनांक 28.12.12

समस्त प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
....

विषय :– प्रधान महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) राज. जयपुर के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं निदेशक निरीक्षण विभाग, राज. जयपुर के आंतरिक जॉच प्रतिवेदन एवं भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों की अनुपालना बाबत।

महोदय,

आपके महाविद्यालय के लेखो पर प्रधान महालेखाकार राज. जयपुर के जाँच दल द्वारा जाँच कर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किये जाते है जिनकी अनुपालना एक माह में सीधे ही प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा) राज. जयपुर को भिजवाई जानी होती है। इन प्रतिवेदनों के उन आक्षेपों की इस कार्यालय को भिजवाई जानी होती है जिन पर जाँच दल ने निदेशक कॉलेज शिक्षा अथवा राज्य सरकार की टिप्पणी सहित अनुपालना की अपेक्षा की होती है।

इसी प्रकार निदेशक निरीक्षण विभाग राजस्थान जयपुर के जाँच दल द्वारा आपके महाविद्यालय के लेखो की आंतरिक जॉच कर निरीक्षण प्रतिवेदन एवं भण्डार की जॉच कर भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन जारी किये जाते है जिनकी अनुपालना एक माह में सीधे ही निदेशक निरीक्षण विभाग राज. जयपुर को भिजवाई जानी होती है एवं इन प्रतिवेदनों में उन आक्षेपों की पालना इस कार्यालय को भिजवाई जानी होती है जिन पर जॉच दल ने निदेशक कॉलेज शिक्षा अथवा राज्य सरकार की टिप्पणी सहित अनुपालना की अपेक्षा की होती है।

प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा) राजस्थान के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं निदेशक निरीक्षण विभाग के आंतरिक जॉच प्रतिवेदनों एवं भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनो की समीक्षा पर पाया गया है कि अधिकांश महाविद्यालयों ... इनकी अनुपालना की समय पर नही की जाती है। उक्त प्रतिवेदनों की अनुपालना की समीक्षा प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में आयोजित आडिट समिति की बैठक दिनांक 22.1.2013 को की जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रधान महालेखाकार एवं निदेशक निरीक्षण विभाग के प्रतिवेदनो/आक्षेपों की अनुपालना 7 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करावे एवं 10 दिवस के अन्दर बकाया प्रतिवेदनो/आक्षेपों के विवरण से इस कार्यालय को अवगत करावे।

भवदीय

Sd/-

वित्तीय सलाहकार
कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 25 (सी.ए.सी.)लेखा/आकाशि/2009-10/1040 दिनांक 28/12/12

प्रतिलिपि :- निदेशालय के विभिन्न प्रभारी अधिकारीयों को प्रेषित कर अनुरोध है कि आपके अनुभाग से सम्बन्धित बकाया आक्षेपों की अनुपालना 7 दिवस में लेखा शाखा को भिजवाने की कार्यवाही सम्पन्न करावे ताकि इन्हे निरस्त कराने की कार्यवाही की जा सके। इस सम्बन्ध में आपसे सम्बन्धित बकाया आक्षेपों की प्रतिया आपको पहले ही भिजवाई जा चूंकि है :-

1. निदेशक अकादमिक
2. संयुक्त निदेशक (आयोजना)/छात्रवृति/प्रशासन/अनुदान)
3. आहरण एवं वितरण अधिकारी
4. श्री धीरेन्द्र देवर्षि व्याख्याता को प्रति प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त पत्र को वेबसाईड पर अपलोड करे।

वित्तीय सलाहकार
कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

E:\accounts vibhag\Vinod sharma\letter.doc